पत्रांकः जी.एस.टी./2019–20/ 172 /वाणिज्य कर

कार्यालय– कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।
(जी.एस.टी. अनुभाग)
लखनऊः दिनांकः 27 मई, 2019

–: कार्यालय आदेश :–

इस कार्यालय के आदेश सं0–278/जी.एस.टी./2017–18/फाइल नं0–118/राज्य कर दिनांक 01.07.2017 द्वारा उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कार्य हेतु उचित अधिकारी (Proper Officer) नामित किये गये थे। फील्ड स्तर से यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि वि0अनु0शा0 व सचल दल इकाईयों में ऐसे व्यापारियों से भी टैक्स व पेनाल्टी के रूप में धनराशि जमा करायी जाती है, जो प्रान्त में पंजीकृत नहीं हैं तथा इस प्रकार की जमा धनराशि के सक्षम न्यायालय में वापसी के आदेश होने पर उनके रिफण्ड प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। अतः ऐसे मामलों में जिनमें व्यापारी के प्रान्त में पंजीयन न होने के कारण टेम्पोरेरी आई.डी. (TRN) क्रिएट करते हुए टैक्स व पेनाल्टी अथवा अन्य कोई धनराशि जमा करायी गयी है, उस धनराशि को सक्षम न्यायालय स्तर से वापसी के आदेश प्राप्त होने की स्थिति में ऐसे व्यापारियों के रिफण्ड प्रार्थना पत्रों का निस्तारण निर्धारित समयान्तर्गत सुनिश्चित किये जाने हेतु वि0अनु0शा0 व सचल दल इकाईयों में कार्यरत अधिकारियों को धारा–54 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु प्रॉपर ऑफिसर (Proper Officer) नामित किया जाना आवश्यक है।

अतः वि0अनु0शा0 इकाई में तैनात राज्य कर के उपायुक्त/सहायक आयुक्त/राज्य कर अधिकारी तथा सचल दल इकाई में तैनात राज्य कर के उपायुक्त/सहायक आयुक्त/राज्य कर अधिकारी को उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा–54 के प्रयोजनार्थ उचित अधिकारी (Proper Officer) नामित किया जाता है एवं आदेश सं0– 278/जी.एस.टी./2017–18/फाइल नं0–118/राज्य कर दिनांक 01.07.2017 के पेज सं0–2 पर अंकित तालिका के प्रविष्टि क्रमांक– 4 एवं 7 में निम्नवत् संशोधन किया जाता है–

क0सं0	अधिकारी का पदनाम	उ0प्र0 माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–1 सन् 2017) की धारा
1.	2.	3.
4.	1. वि0अनु0शा0 इकाई में तैनात राज्य कर के उपायुक्त 2. वि0अनु0शा0 इकाई में तैनात राज्य कर के सहायक आयुक्त 3. वि0अनु0शा0 इकाई में तैनात राज्य कर अधिकारी	54, 67(11), 68, 70, 126, 127, 129, 130
7.	1. सचल दल इकाई में तैनात राज्य कर के उपायुक्त 2. सचल दल इकाई में तैनात राज्य कर के सहायक आयुक्त 3. सचल दल इकाई में तैनात राज्य कर अधिकारी	54, 67(11), 68, 70, 126, 129, 130

यह अधिकारी उक्त धारा के अन्तर्गत केवल उन मामलों में जिनमें उनकी इकाई द्वारा प्रान्त में अपंजीकृत व्यापारियों की टेम्पोरेरी आई.डी. (TRN) सृजित करते हुए धनराशि जमा करायी गयी है, कार्यवाही हेतु सक्षम होगें। प्रान्त में पंजीकृत व्यापारियों के सम्बन्ध में धारा–54 के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ववत् खण्ड/कॉर्पोरेट सर्किल में तैनात अधिकारियों द्वारा ही की जायेगी।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0:/ /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, राज्य कर एवं मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश शासन।
2. विशेष सचिव, संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त जोनल अपर आयुक्त ग्रेड–1, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
4. अपर निदेशक, राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
5. अपर आयुक्त, ग्रेड–1/ग्रेड–2, उच्च न्यायालय कार्य0, राज्य कर, इलाहाबाद/लखनऊ।
6. मुख्यालय के समस्त अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त, राज्य कर।
7. संयुक्त आयुक्त (स्थापना) राज्य कर, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि तद्नुसार अपने अभिलेख में सम्मिलित करें एवं उप आयुक्त/सहायक आयुक्त, राज्य कर/राज्य कर अधिकारी, राज्य कर की तैनाती अथवा प्रभार दिये जाने की कार्यवाही उपरोक्तानुसार ही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
8. समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक)/(वि0अनु0शा0)/(टैक्स ऑडिट) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त उप आयुक्त/सहायक आयुक्त/राज्य कर अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
10. संयुक्त आयुक्त, (उच्चतम न्यायालय कार्य0)/(उच्च न्यायालय कार्य0), राज्य कर, गाजियाबाद/लखनऊ/इलाहाबाद।
11. मुख्यालय के समस्त अनुभाग/अनुभाग प्रभारी।
12. मैनुअल अनुभाग को 5 प्रतियाँ।

(विवेक कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (जी.एस.टी.)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।